बेहार शिक्षा परियोजना परिषद

संस्था का स्मृति पत्र एवं नियमावली



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, शास्त्री नगर, पटना - 800 23 - 5412 312 BIH-S

National Institute of Educat (mil)
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New (Mili-110016)
DOL: W.

Dat-

20:11:97

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण - पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 103

वर्ष 1991-1992

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् सोसाईटीज रिजर्ट्रशन ऐक्ट २१, १८६० के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख तेरह मास मई वर्ष उन्नीस सौ इकानवे को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

ह./-

नवीन

वारते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

नवम्बर, १६६५

निजी वितरण हेतू

प्रस्तावना

"बिहार शिक्षा परियोजना" की संकल्पना वर्ष 1989-90 में की गयी। फरवरी 1990 में बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसमें परियोजना के दर्शन, सिद्धांत एवं लक्ष्यों का उल्लेख है। इसी वर्ष मार्च में थाइलैंड के जोमेतियन शहर में "सबों के लिये शिक्षा" पर एक विश्व-सम्मेलन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग देने के लिये तत्पर हुईं। यूनिसेफ "बिहार शिक्षा परियोजना" के साझेदार बने।

"बिहार शिक्षा परियोजना" के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का निबंधन सोसाइटीज रिजस्ट्रेशन एक्ट - 21/1860 के अधीन दिनांक 13-5-1991 को हुआ।

संस्था के स्मृति पत्र में परियोजना के विभिन्न उद्देश्यों को अंकित किया गया है, जिसकी स्पष्ट जानकारी परियोजना से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है। साथ ही, परियोजना की नियमावली भी इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में तथा कार्य को मिशन-भावना से करने में सहायक होगी।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का "स्मृतिपत्र एवं नियमावली" का पुनर्मुद्रण इसी दृष्टि से किया गया है कि इसकी प्रतियाँ परियोजना में पूर्ण/अंशकालीन रूप से कार्य करनेवाले सभी कर्मियों के पास उपलब्ध रहे और वे इससे दिशा-निर्देश प्राप्त करते रहें।

> **मदन मोहन झा** परियोजना निदेशक

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद संस्था का स्मृति पत्र

- (1) संस्था का नाम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् होगा (इसके बाद उसे परिषद् के रूप में संदर्भित किया गया है।)
- (2) परिषद् का निबंधित कार्यालय विकास भवन, पटना 800015 में अवस्थित होगा।
- (3) उद्देश्य:

जाएगा।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगा जैसा कि फरवरी, 1990 में बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में निर्देशित है एवं समय-समय पर संयुक्त पुनरीक्षण द्वारा संशोधित और तैयार परियोजना दस्तावेज में निर्देशित किया जाएगा। परिषद् का क्रियाकलाप चुने हुए जिलों में सीमित होगा लेकिन कुछ चुनी हुई एवं सहाय्य परियोजनाओं के लिए इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार के क्षेत्र में हो सकता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्त्तन हेतु एवं इसके द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु सामाजिक मिशन के रूप में कार्य करने के लिए परिषद् की स्थापना की गई है। बिहार शिक्षा परियोजना के निम्नांकित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्त्ति का प्रयास परिषद् द्वारा किया

- (क) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण जो निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु समग्र कार्यक्रम के रूप में देखा जाएगा : –
 - 1. 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभ बनाना।
 - 2. सर्वव्यापी भागीदारी जबतक सभी बच्चे औपचारिक या अनौपचारिक माध्यम से प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करते हैं।
 - 3. सभी बच्चों में न्यूनतम् अधिगम स्तर की संप्राप्ति।
- (ख) 15 से 3 5 आयुवर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त निरक्षरता का व्यापक उन्मूलन और कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना तथा युवाओं और वयस्कों के बीच उत्तर साक्षरता, अनवरत शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना।
- (ग) महिलाओं के लिए समानता और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना।

- (घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा का समान अवसर का प्रावधान करने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- (इ.) शिक्षा को कार्य एवं लोगों के रहन-सहन के साथ सम्बद्ध करना जो उनकी आजीविका की समस्या, पर्यावरण की समस्या और माँ तथा बच्चों की जीवन रक्षा की समस्या को दूर कर सकने की क्षमता का विकास कर सकेगा।
- (च) संस्कृति एवं संचार, विज्ञान एवं पर्यावरण और सामाजिक न्याय की भावना पैदा करने संबंधी विभिन्न शैक्षिक क्रिया – कलापों पर विशेष बल देना।

(4) कार्य:

उपर्युक्त उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु परिषद् के निम्नांकित कार्य होंगे जो परिषद् के कार्यालय एवं इसके स्टाफ द्वारा सीधे किए जाएँगे या परिषद् द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त संस्थाओं, अभिकरणों या व्यक्तियों द्वारा किए जाएँगे।

- (क) पिरयोजना के कार्यान्वयन के लिए और विशेषकर उपरोक्त कंडिका 3 में ऑकित उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायतशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना करना।
- (ख) परिषद् के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों की प्रतिभागिता से एक प्राधिकृत प्रशासनिक क्षेत्र की संरचना करना।
- (ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शाखा कार्यालय के रूप में जिला कार्य बल की स्थापना करना और मंडल, जिला, अनुमण्डल, प्रखंड एवं ग्राम-स्तर पर उपयुक्त अन्य क्षेत्रों की स्थापना करना और उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना।
- (घ) शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक अभिकरणों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तियों की सिक्रय संलग्नता एवं प्रतिभागिता प्राप्त करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- (ड.) प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं सजगता निर्माण के माध्यम से लोगों की संलग्नता द्वारा बुनियादी शिक्षा में प्रभावी विकेन्द्रीकरण लाना और समुचित संरचना विकसित करना - औपचारिक या अन्य।

- (च) परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों की रचनात्मक प्रतिभागिता प्राप्त करना। इसके लिए औपचारिक या अनौपचारिक संरचनाएँ संस्थापित करना।
- (छ) बुनियादी शिक्षा में नए प्रयोग करना एवं नवाचार का कार्यक्रम शुरू करना।
- (ज) बुनियादी शिक्षा और इसके प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान एवं अध्ययन का कार्य करना एवं उसे बढ़ावा देना।
- (झ) वर्त्तमान में उपलब्ध संस्थाओं को सुसज्जित करके या नई संस्थाएँ स्थापित कर तकनीकी संसाधन सहायता को सुनिश्चित करना।
- (भ) बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार को परामर्श देना।
- (ट) परियोजना से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, विचार-गोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
- (ठ) शैक्षिक सामग्री का निर्माण एवं उत्पादन करना और उसका विस्तार करना।
- (ड) परिषद् में शैक्षिक, तकनीकि, प्रशासनिक एवं प्रबंधन तथा अन्य पदों का सृजन करना और परिषद् के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार उनका भुगतान करना।
- (ढ) परिषद् के कार्यों को संचालित करने के लिए नियम एवं अधिनियम बनाना और समय-समय पर उनके परिवर्द्धन या संशोधन करना, परिवर्तन या निरस्त करना।
- (त) किसी भी प्रकार की राशि अनुदान, सुरक्षा निधि या सम्पत्ति स्वीकार करना और किसी भी दान, न्यास, निधि या चंदे का प्रबंधन दायित्व लेना और स्वीकार करना जिसका उद्देश्य परिषद् के उद्देश्यों के विरोधी न हो।
- (थ) आय-व्ययक तैयार कर अर्थनीति के अंतर्गत और ईमानदारी पूर्वक राशि खर्च करना।
- (द) परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा जोखा तैयार करना।
- (ध) परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार भवन खरीदना, किराये या पट्टे पर लेना, सम्पत्ति का आदान-प्रदान करना या अधिग्रहण करना, भवन बदलना और भवन का रख-रखाव करना।
- (न) ऐसे और कार्य करना जो परिषद् के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए आवश्यक हो।

(5) धन और सम्पत्ति :

किसी भी श्रोत से परिषद् को प्राप्त आय और धन का उपयोग परिषद् के स्मृति - पत्र में निर्धारित उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए किया जाएगा। बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की राशि सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अन्दर खर्च की जाएगी। परिषद् की आय या धन का कोई भी अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, अधिलाभ या अन्य किसी लाभ के रूप में किसी भी व्यक्ति को जो परिषद् का सदस्य रह चुका है, भुगतान या हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। परिषद् की सेवा करने वाले किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को यात्रा-भत्ता, मानदेय, पारिश्रमिक, ठहराव भत्ता या अन्य सदृश परिव्यय का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(४) सरकार का अधिकार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से एक या अधिक व्यक्तियों को परिषद् के कार्य एवं प्रगित की समीक्षा हेतु एवं कार्यकलाप की जाँच हेतु नियुक्त कर सकता है और सरकार इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग कर सकती है। प्रतिवेदन के आधार पर सरकार कार्रवाई कर सकती है या आवश्यकतानुसार किसी मामले में निर्देश दे सकती है और परिषद् उस निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार समय – समय पर संयुक्त रूप से परिषद् के नीतिगत मामले में निर्देश – पत्र जारी कर सकती है और परिषद् इस निर्देश का शीघ्र अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) विघटन:

परिषद् का कार्य समाप्त होने पर या विघटित होने पर परिषद् के सारे आदेय एवं कर्ज आदि भुगतान के बाद बची सम्पत्ति इसके सदस्यों के बीच न तो बांटी जायेगी और न भुगतान की जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार निर्णय करेगी।

- (8) परिषद् के शासनिक निकाय के सदस्यों की सूची पृष्ठ आठ पर दी गई है जिनके जिम्मे परिषद् के नियम एवं संविधान के अनुसार इसका प्रबंधन एवं कार्यकलाप का दायित्व सौंपा जाता है।
- (9) परिषद् के नियम एवं संविधान की सही प्रति जो सामान्य परिषद् के तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित की गई है इस स्मृति - पत्र के साथ संलग्न है।
- (10) हम सभी व्यक्ति जिनके नाम एवं पते पृष्ठ 5 पर दिए गए हैं, संस्था के स्मृति पत्र में अंकित उद्देश्यों के लिए स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हुए संस्था के स्मृति पत्र का समर्थन करते हैं और अपना सहयोग देते हुए सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा XXI के अनुसार एक सोसाईटी गठित करते हैं।

इच्छुक व्यक्तिः

संस्था के समिति पत्र के अनुरूप हम अधोहस्ताक्षरीगण बिहार राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन एक सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं, जिसका नाम "बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्" होगा।

(1.11)			
क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कमला प्रसाद	मुख्य सचिव	ह. ∕ -
		बिहार, पटना	
2.	अरुण पाठक	विकास आयुक्त	ह. / -
929		बिहार सरकार	
3.	रागाकान्त श्रीवास्तव	सचिव, मानव संसाधन	ह. / -
		विकास विभाग।	
		बिहार सरकार	
4.	जगदीश मिश्रा	सचिव, बिहार प्राथमिक	ह. / -
		शिक्षक संघ,	
		एक्जीवीशन रोड, पटना	
5.	लोकनाथ प्रसाद	सचिव	ह. / -
6.	अशोक कुमार चौधरी	सचिव, कार्मिक एवं	ह. / -
		प्रशासनिक सुधार	
		बिहार सरकार	
7.	अमिताभ मुखोपाध्याय	शिक्षा विभाग	ह. / -
		मानव संसाधन विकास	
		मंत्रालय, शास्त्री भवन,	
		नई दिल्ली - 110001	
8.	सी.आर. वेंकट रमण	वित्त सचिव	ह. ∕ -
		बिहार सरकार	
		•	
11			

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली

- (1) लघु शीर्षक :- इन नियमों को ''बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नियमावली'' कहा जा सकता है।
- (2) विस्तार क्षेत्र तथा उपयोग :- इन नियमों का परिषद् की सभी इकाईयों तथा कार्यकलाप तक विस्तार होगा।
- (3) ये नियम बिहार राज्य में सोसाइटीज रिजस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन जिस तिथि को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, निबंधित हुई, उसी तिथि से प्रभावी होंगे।
- (4) परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (i) बेसिक एडुकेशन का अर्थ होगा परियोजना के प्रसंग में लिए गए निम्नांकित कार्यकलाप :-
 - (क) प्रारम्भिक बालपन की देखभाल तथा शिक्षा,
 - (ख) 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, जो औपचारिक विद्यालय पद्धित के माध्यम से हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा.
 - (ग) वयस्क साक्षरता तथा शिक्षा,
 - (घ) महिलाओं की समानता तथा अधिकार के उद्देश्यवाले शैक्षिक तथा अन्य कार्यक्रम तथा
 - (च) उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा, कुशलता के विकास सहित।
 - (II) केन्द्र सरकार का अर्थ होगा भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग)।
 - (॥) सभापति का अर्थ होगा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का सभापति।
 - (IV) ''कार्यकारिणी समिति'' का अर्थ होगा धारा 22 के अन्तर्गत गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति नामक समिति।
 - (V) "दिलचस्पी लेने वाले अभिकरण" का अर्थ होगा (1) केन्द्र सरकार (2) राज्य सरकार, (3) शिक्षक संघ, (4) स्वैच्छिक संस्थाएँ और (5) यूनिसेफ।
 - (VI) "अनौपचारिक शिक्षा" का अर्थ होगा समान्यतः 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जानेवाली प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के अनुरूप अंशकालिक शिक्षा।
 - (VII) "पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण" का अर्थ होगा परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी जिसे कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य अधिकारी या पदाधिकारी, जिसे ऐसा कार्य करने को अधिकार सौंपे गए, द्वारा नियुक्त किया गया। इसमें सलाहकार, फेलो तथा शोध कर्मचारीगण समाविष्ट होंगे, राज्य परियोजना निदेशक नहीं।

- (VIII) "परिषद्" का अर्थ होगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्।
- (IX) "परियोजना" का अर्थ है बिहार शिक्षा परियोजना जैसा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिपादित किया गया और फरवरी 1990 में प्रकाशित हुआ और संयुक्त समीक्षाओं के आधार पर समय-समय पर रूपान्तरित किया गया तथा सविस्तार प्रतिपादित किया गया।
- (X) ''अध्यक्ष'' का अर्थ होगा परिषद् का अध्यक्ष।
- (XI) "प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ होगा वर्ग-1 से 5 तक के अनुकूल शिक्षा।
- (XII) ''राज्य परियोजना निदेशक'' का अर्थ होगा परिषद् का परियोजना निदेशक जिसे धारा-20 के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया।
- (XIII) ''राज्य सरकार'' का अर्थ होगा बिहार सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग)।
- (XIV) "तकनीकी संसाधन" का अर्थ होगा (1) पाठ्यक्रम तथा पठन पाठन सामग्री का विकास, (2) शिक्षण विधियाँ, (3) शिक्षकों का प्रशिक्षण, (4) शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास, (5) माध्यम तथा संचार, तथा (६) शिशिक्षु मूल्यांकन।
- (XV) "उच्च प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ होगा वर्ग 6 से 8 के अनुकूल शिक्षा।
- (XVI) ''उपाध्यक्ष'' का अर्थ होगा परिषद् का उपाध्यक्ष।
- (XVII) "स्वैच्छिक संस्थाएँ" का अर्थ होगा गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें परियोजना के अधीन किसी काम को करने के लिए उत्तरदायित्व ऐसे अधिकारी के द्वारा सौंपा गया हो जो ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें निबन्धित समितियों, सार्वजनिक न्यास तथा अलाभकारी कम्पनियाँ सम्मिलित होंगी।
- (XVIII)(क) एकवचन बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित हैं और बहुवचन वाले में एकवचन।
 - (ख) पुल्लिंग बताने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित हैं।

परिषद् :

- (5) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 - 1. मुख्य मंत्री, बिहार

अध्यक्ष पदेन

प्राथिमक शिक्षा मंत्री, बिहार

उपाध्यक्ष पदेन

3. विकास आयुक्त

सदस्य

4.	आयुक्त तथा सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार सदस्य		
5.	सचिव, योजना तथा विकास विभाग	सदस्य	
6.	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य	
7.	वित्त सचिव तथा आयुक्त, बिहार सरकार	सदस्य	
8.	गैर सरकारी संस्थाओं से चार व्यक्ति, जो राज्य में		
	शैक्षिक कार्यों में लगे हैं। इनमें एक महिला हों,	¢.	
	जिनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी	सदस्य	
9.	सम्बन्ध राज्य स्तरीय संस्थाओं के पाँच प्रधानों		
	तक, जो तकनीकी संसाधन विकास में लगे हों।		
	इनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी	सदस्य	
10.	शिक्षकों के प्रतिनिधि, इनको राज्य सरकार मनोनीत करेगी।	सदस्यगण	
	(क) तीन व्यक्ति, कम-से-कम एक महिला सहित,		
	जो प्राथमिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करें,		
	(ख) तीन व्यक्ति, कम-से-कम एक महिला सहित,		
	जो अनौपचारिक शिक्षा / वयस्क शिक्षा आदि में		
	लगे अनुदेशकों तथा अन्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व करें,		
	(ग) तीन शिक्षक जो बुनियादी शिक्षा पद्धित की अपनी		
	प्रतिबद्धता के लिए ज्ञात हैं। इनमें कम-से-कम एक		
	महिला होंगी।		
13.	तीन प्राथमिक विद्यालयों के प्राधानाध्यापक, जो प्रारम्भिक शिक्षा		
में अपनी नेतृत्व तथा आह्वानों के लिए ज्ञात हैं। इनमें कम-से-कम			
	एक महिला होंगी।	सदस्यगण	
12.	तीन प्रतिनिधि जिन्हें राज्य सरकार मनोनित करेगी जो विख्यात		
	शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों, कवियों एवं विषय विशेषज्ञों में से हों।		
13.	बिहार सरकार के अन्य पदेन प्रतिनिधि -		
	(क) परियोजना के चुने जिलों में जिला समितियों के छ: प्रधान		
	चक्रानुक्रम से जिनमें दो व्यक्ति प्रतिवर्ष वरीयता के आधार		
	पर अवकाश प्राप्त करें।		

- (ख) पांच विभागाध्यक्ष, जिनके कार्य बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित हैं।
- (ग) जिला टास्क फोर्स के छः कार्यकारी प्रधान चक्रानुक्रम से, जिनमें से दो व्यक्ति प्रतिवर्ष वरीयता के आधार पर अवकाश प्राप्त करें।
- 14. केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि -
 - (क) केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), भारत सरकार मनोनीस करेगी।
 - (ख) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
 - (ग) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
 - (घ) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।
- 15. केन्द्र सरकार के अन्य मनोनीत
 - (क) प्रारम्भिक
 - (क) तीन व्यक्ति, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखने वाले, जिनमें कम-से-कम एक महिला हों।
 - (ख) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग में लगी संस्थाओं के दो प्रधान /प्रतिनिधि।
- 16. यूनिसेफ के दो प्रतिनिधि:-

सदस्यगण

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वालों में से प्रत्येक में दो व्यक्ति, प्रत्येक कोटि में एक व्यक्ति केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे।

सदस्यगण

18. पाँच महिलाएँ, जिन्होंने प्राथिमक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर ली है, इनमें से दो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और तीन केन्द्र सरकार द्वारा।

सदस्यगण

कार्यकारिणी समिति के वे सभी सदस्य जो ऊपर सम्मिलित नहीं हुए।

सदस्यगण

20. राज्य परियोजना निदेशक

सदस्यगण

- (6) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की अवधि 2 वर्ष होगी। ऐसे सदस्य पुन: मनोनयन के योग्य नहीं होंगे।
- (7) परिषद् के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि
 - (क) वे पद त्याग दें, विक्षिप्त हों, दिवालिया हो या नैतिक चरित्रहीनता से संलग्न फौजदारी अपराध के दोषी ठहराए गए हों, या
 - (ख) वे परिषद् की लगातार तीन बैठकों में, अध्यक्ष की उपयुक्त अनुमति के बिना, उपस्थित नहीं होते हैं।
- (8) जहाँ परिषद् का कोई सदस्य नियुक्ति के पद को धारण करने के कारण सदस्य होता है, तो उसकी परिषद् की सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद अथवा नियुक्ति छोड़ देगा।
- (9) परिषद् की सदस्यता का त्याग-पत्र राज्य परियोजना निदेशक को अर्पित किया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जबतक अध्यक्ष की ओर से वह स्वीकृत नहीं हो जाता।
- (10) रिक्तियाँ : परिषद् की सदस्यता में कोई रिक्ति मनोनयन करने के अधिकृत अधिकारी वर्ग द्वारा मनोनयन से भरी जाएगी और रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति सदस्यता की अविध के बचे समय के लिए ही कार्य कर सकेंगे।
- (11) परिषद् का कोई सदस्य जो अपने कार्य के कारण सदस्य होने का अधिकारी है, वह यदि कुछ समय के लिए परिषद् का सदस्य नहीं है और न इसकी किसी समिति में अन्य रिक्ति नियुक्ति नहीं होने अथवा किसी अन्य कारण से होते हुए भी परिषद् कार्य करेगी और परिषद् का कोई कार्य अमान्य मात्र इसलिए नहीं होगा कि उपर्युक्त कोई घटना हुई अथवा परिषद् के सदस्यों में से किसी की नियुक्ति में कोई दोष हो।

परिषद् के अधिकार और कर्तव्य :

- (12) परिषद् की निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :-
 - परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा व्यापक नीति विषयक मार्गदर्शन तथा निर्देश परिषद् के सुसंचालन के लिए होना।
 - 2. पिछले वर्ष के लिए आय-व्यय पत्रक तथा अंकेक्षित लेखाओं पर विचार करना।
 - कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
 - केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् की नियमावली में कुछ जोड़ना तथा सुधार करना।
 - इन नियमों के अधीन इसे सौपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

परिषद् की कार्यवाही:

- (13) परिषद् की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय, तिथि तथा स्थान पर हुआ करेंगी।
- (14) इन नियमों में अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर परिषद् की सभी बैठकें राज्य परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से सूचना द्वारा आहूत की जाएँगी।
- (15) परिषद् की बैठक में यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- (16) परिषद् के सदस्यों की एक तिहाई परिषद् की प्रत्येक बैठक में गणपूर्त्ति होगी। बशर्ते कि स्थगित बैठक के सम्बन्ध में गणपूर्त्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (17) परिषद् की बैठकों में सभी विवादास्पद प्रश्नों का निर्धारण मत द्वारा होगा और मतों के समान होने की स्थिति में बैठक में अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

परिषद् के पदाधिकारी तथा अधिकारी वर्ग :

- (18) पदाधिकारी : परिषद् के पदाधिकारी होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्य परियोजना निदेशक तथा अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें कार्यकारिणी समिति द्वारा पदनाम धारित किया गया हो।
- (19) परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, जो उनके पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करेगी।
- (20) अधिकारी वर्ग : परिषद् के निम्नांकित अधिकारी वर्ग होंगे :-
 - ा. अध्यक्ष
 - 2. उपाध्यक्ष
 - 3. सभापति
 - कार्यकारिणी समिति
 - राज्य कार्यक्रम निदेशक
 - ऐसे अन्य अधिकारी वर्ग जो कार्यकारिणी समिति द्वारा संगठित किए जाएँगे।

कार्यकारिणी समिति :

- (21) परिषद् के कार्य, परिषद् के नियमों, अधिनियमों तथा आदेशों के अनुरूप कार्यकारिणी समिति द्वारा किए जाएँगे, जो निम्नांकित की बनी होगी : –
 - शिक्षा आयुक्त एवं सचिव,
 मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना

सभापति पदेन

_				
	2.	वित्त सचिव, अथवा उनके द्वारा राज्य सरकार में मनोनीत	2	सदस्य
	3.	s. सचिव, योजना और विकास – सदस्		
	4.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना	-	सदस्य
	5.	निदेशक, वयस्क / अनौपचारिक शिक्षा, बिहार, पटना	4	सदस्य
	6.	निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण, बिहार, पटना	4.0	सदस्य
	7.			
		से चक्रानुक्रम से सभापति द्वारा मनोनीत	<u>-</u>)	सदस्य
	8.	दो जिला समितियों के प्रधान, जो चक्रानुक्रम से चुने		
		हुए जिलों में से होंगे ओर जिनको सभापति मनोनीत करेंगे	-	सदस्य
	9.	केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि, जो मानव संसाधन विकास		
		मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे।	÷	सदस्य
	10.	दो निदेशक / राज्य स्तरीय शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन		
		सहायक एजेंसियों के प्रतिनिधि	S	सदस्य
	11.	दो शिक्षा शास्त्री जो अपने अनुभव तथा बुनियादी शिक्षा में		100.75
		रूचि के लिए जात हैं, एक राज्य सरकार तथा एक केन्द्र		
		सरकार द्वारा मनोनीत	5	सदस्य
	12.	यूनिसेफ के एक प्रतिनिधि	_	सदस्य
13. दो कार्यरत् शिक्षक, जो शिक्षक संगठनों को प्रतिनिधित्व				
		करें, बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	<u>.</u>	सदस्य
	14.	दो महिलाएँ जिनका महिलाओं के विकास तथा शिक्षा में अनुभव		
		और रुचि हो, एक केन्द्र सरकार और एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	_	सदस्य
	15.	दो व्यक्ति स्वैच्छिक संस्थाओं से, जिन्होंने अनुसूचित जाति तथा		
		अनुसूचित जनजाति में काम के लिए ख्याति प्राप्त की हो, एक केन्द्र		
		सरकार तथा एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	_	सदस्य
	16.	परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक,	- t	ादस्य सचिव
)	केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की कार्यावधि 2 वर्ष होगी। ऐसे सदस्य पुन: मनोनयन के योग्य नहीं होंगे।			

(22

- (23) कार्यकारिणी समिति के सदस्य ऐसे सदस्य नहीं रहेंगे, यदि
 - (क) वे पदत्याग करते हैं, विक्षिप्त हैं, दिवालिया हो अथवा नैतिक चरित्रहीनता से संलग्न फौजदारी अपराध के दोषी ठहराए गए हों, या
 - (ख) वे कार्यकारिणी समिति की लगातार तीन बैठकों में सभापति की उपयुक्त अनुमित के बिना उपस्थित नहीं होते हैं।
- (24) कार्यकारिणी समिति की सदस्यता का त्यागपत्र राज्य परियोजना निदेशक को अर्पित किया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जबतक सभापति की ओर से वह स्वीकृत नहीं हो जाता।
- (25) रिक्तियाँ: कार्यकारिणी सिमिति की सदस्यता में कोई रिक्ति ऐसी नियुक्ति अथवा मनोनयन करने के लिए अधिकृत अधिकारी वर्ग द्वारा नियुक्ति अथवा मनोनयन से भरी जाएगी और उस रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति सदस्यता की कार्याविध के बचे समय के लिए ही कार्य करेंगे।
- (26) कोई व्यक्ति जो अपने पद के कारण सदस्य हो सकता है, पर कुछ समय के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है तथा समिति में किसी अन्य रिक्ति, भले वह नियुक्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी वर्ग द्वारा नियुक्त नहीं होने के कारण या अन्य प्रकार से होते हुए भी कार्यकारिणी समिति कार्य करेगी और कार्यकारिणी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इसलिए अमान्य नहीं होगी कि ऐसी कोई उपर्युक्त घटना अथवा किसी सदस्य की नियुक्ति में दोष है।

कार्यकारिणी समिति की कार्यवाहियाँ :

- (27) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सभापति करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य उस अवसर पर अध्यक्षता करेंगे।
- (28) कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों की एक तिहाई से कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक की गणपूर्त्ति बनेगी बशर्ते कि स्थगित बैठक के सम्बन्ध में गणपूर्त्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (29) कम-से-कम सात स्पष्ट दिनों की सूचना कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी बशर्ते कि -
 - (क) सभापति 3 दिनों की सूचना पर आपात बैठक बुला सकते हैं, और
 - (ख) बैठक की सूचना देने के किसी असावधान चूक अथवा इसकी किसी सदस्य द्वारा इसके प्राप्त नहीं होना बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं कर सकेगा।
- (30) कार्यकारिणी सिमिति की बैठक बुलाने की प्रत्येक सूचना बतायेगी कि ऐसी बैठक किस तिथि को, किस समय और कहाँ होगी तथा अन्यथा को छोड़कर जैसा इन नियमों में प्रावधान है, सदस्य-सिचव के हस्ताक्षर से सूचना दी जाएगी।

- (31) कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी पर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य बैठेगी।
- (32) सभापित सिंहत कार्यकारिणी सिमिति के प्रत्येक सदस्य को एकमत होगा और यदि मतों की समानता कार्यकारिणी सिमिति द्वारा किसी प्रश्न पर निर्णय करना हो, तो सभापित को एक मत अतिरिक्त होगा।

कार्यकारिणी समिति के कार्य और अधिकार:

- (33) कार्यकारिणी समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि परिषद् के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें और इसके सभी कार्य निष्पादित करे। कार्यकारिणी समिति सभी प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक अधिकार का उपयोग सभी तरह के पदों को सृजित करने तथा उनपर अधिनियमों के अनुसार नियुक्ति करने के सहित करेगी।
- (34) कार्यकारिणी समिति के नियंत्रणाधीन परिषद् के सभी कार्यों तथा कोष का प्रबंधन रहेगा।
- (35) कार्यकारिणी समिति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिकार तथा उत्तरदायित्व होंगे :-
 - (क) राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिनियमों को बनाना,
 - (ख) इसके उद्दश्यों की सहायता में परिषद् के कार्यकलाप को चलाने के लिए उपनियमों को बनाना।
- (36) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी अथवा निजी संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ समझौते में सम्मिलित हो सकता है।
- (37) कार्यकारिणी सिमिति को अधिकार होंगे कि वह स्थायी निधि, सहायक अनुदान, दान अथवा उपहार परिषद् के लिए पारस्परिक सम्मत शत्तों पर तथा प्रतिबंधों पर प्राप्त कर सके और स्वीकार कर सके बगर्ते कि उन सहायक अनुदान, दान या उपहार के प्रतिबन्ध असंगत अथवा परिषद् के उद्देश्यों के साथ अथवा इन नियमों के प्रावधानों के साथ विरोध में नहीं हो।
- (38) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि क्रय, उपहार अथवा अन्य प्रकार से सरकार तथा अन्य सरकारी समितियों अथवा निजी व्यक्तियों से चल तथा अचल सम्पतियाँ या अन्य कोष किसी आनुषांगिक दायित्व के साथ तथा वादों, जो परिषद् के उद्देश्यों तथा इन नियमों के प्रावधानों के असंगत न हो, ग्रहण कर सकती है तथा अर्जित कर सकती है।
- (39) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि वह परिषद् के उपयोग के लिए वांछित भवन के निर्माण का भार अपने ऊपर ले सकती है अथवा ठेका दे सकती है और परिषद् के कार्यों के सम्पादन के लिए वांछित भंडार तथा सेवाएँ अर्जित कर सकती है।

- (40) संस्था के स्मृति पत्र की धारा 5 के प्रावधान के अधीन कार्यकारिणी समिति को परिषद् की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचने अथवा पट्टे पर देने या लेने का अधिकार होगा, बशर्ते कि परिषद् की कोई परिसम्पत्ति, जो सरकारी अनुदान से निर्मित हुई, बेची नहीं जाएगी, ऋणग्रस्त नहीं की जाएगी अथवा जिन उद्देश्यों के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ उससे भिन्न में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (41) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के विविध क्षेत्रों के लिए स्थायी / तदर्थ समितियों अथवा टास्क फोर्स / ग्रुपों आदि स्थापित करें तथा उनकी सदस्यता सूचित करें और उनकी सदस्यता, अधिकारों और कर्त्तव्यों के संबंध में निर्णय करें।
- (42) कार्यकारिणी समिति संकल्प द्वारा सलाहकार बोर्ड या अन्य विशिष्ट समितियाँ ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसे अधिकारों के साथ नियुक्त कर सकती है जैसा कार्यकारिणी समिति उचित समझें और कार्यकरिणी समिति अपने द्वारा स्थापित समितियाँ तथा सलाहकार बोर्डों में से किसी को विघटित कर सकती है।
- (43) कार्यकारिणी समिति सभापति, राज्य परियोजना निदेशक या अपने सदस्यों में से किसी को और /या सिमिति / ग्रुप को या परिषद् के किसी दूसरे पदाधिकारी को ऐसे प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षिक अधिकार सौंप सकती है और यह जो उचित समझे वैसे कार्य सोच सकती है और सीमा भी निर्धारित कर सकती है जिसके अन्तर्गत अधिकारों और कर्त्तव्यों का व्यवहार करना या पूरा करना है।

अधिनियम :

- (44) परिषद् के किसी विशेष निर्देशों के अधीन तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के व्यापक परामर्श को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति को इन नियमों से संगत अधिनियम बनाने और सुधारने के अधिकार परिषद् कार्यों के संचालन तथा प्रबन्धन के लिए होंगे और इस प्रावधान की सामान्य बात को हानि पहुँचाए बिना ऐसे अधिनियम निम्नांकित मामलों में लागू होंगे : -
 - पदों के सृजन, योग्यता, चुनाव प्रक्रिया, सेवा शर्ते, वेतन तथा उपलब्धि, अनुशासन तथा नियंत्रण नियमावली सहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित सेवा के मामले।
 - बजट का सूत्रीकरण, क्रय प्रक्रिया वित्तीय अधिकार सौंपना निधिनिवेश, लेखा संधारी तथा अंकेक्षण, अग्रिम भत्ता तथा मँहगाई भत्ता नियमावली आदि सहित महत्त्वपूर्ण वित्तीय पहलू।
 - 3. ऐसे दूसरे मामले जो उद्देश्यों की सहायता तथा परिषद् के कार्यों के सही संचालन के लिए आवश्यक हो।

बशर्ते कि इस नियम के उद्देश्य के लिए निम्नांकित मार्गदर्शिका को पदों के सृजन तथा सेवा एवं वित्तीय अधिनियमों के प्रतिपादन में ध्यान रखा जाए।

- (क) कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित किए जाने वाले पदों के सम्बन्ध में वेतनमान केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के वेतनमान के अनुरूप होगा।
- (ख) परिषद् के लिए सृजित किए जाने वाले पदों के सम्बन्ध में भर्ती स्थानान्तरण प्रतिनियोजन पर अथवा कम अवधि के ठेके पर होगी। विशिष्ट जिम्मेवारी से सम्बन्धित कार्य के लिए निश्चित परिलाभ पर व्यक्ति काम पर लगाए जाएँगे, इस प्रावधान के साथ कि यदि उचित समझा गया तो प्रतिवर्ष उसका पुनरीक्षण होगा।
- (ग) प्रबन्धन के ढाँचे में कर्मचारी वर्ग जो स्थायी भार राज्य सरकार पर होने वाले हों, नियुक्त नहीं किए जाएँगे।
- (घ) जबतक परिषद् अपने अधिनियम नहीं प्रतिपादित करती, कार्यकारिणी ससिति द्वारा ऐसे सभी मामलों में लिए गए निर्णय लागू होंगे।
- (इ.) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के सिद्धान्त का अनुपालन होगा।
- (च) वित्तीय औचित्य तथा दूरदर्शिता का विचार ध्यान में रखा जाएगा।

उपनियम:

- (45) परिषद् के विशिष्ट निर्देशों तथा इन नियमों तथा अधिनियमों में बताए गए प्रावधानों के अधीन कार्यकारिणी समिति को अधिकार होंगे कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद् के कार्यकलाप के चलाने के लिए उपनियम बनावे तथा सुधार करें और ये उपनियम इन मामलों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।
 - (क) शाखा कार्यालयों की स्थापना,
 - (ख) सामान्य परिषद् कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों तथा उपसमितियों के काम का निष्पादन,
 - (ग) स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान
 - (घ) व्यक्तियों की सहभागिता तथा उनके साथ ठेकेवाली व्यवस्था,
 - (च) विद्यालय मैपिंग तथा नए विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा अन्य बुनियादी शिक्षा सुविधाओं की स्थापना।
 - (छ) सुविधाएँ तथा उत्प्रेरणाएँ प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के प्रवेश और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदान की जाएँ।
 - (ज) तकनीकी संसाधन सहाय्य के सभी पहलू।
 - (झ) ऐसी दूसरी चीजें जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

सभापति :

(46) शिक्षा सचिव, बिहार, सरकार कार्यकारिणी समिति के पदेन सभापति होंगे।

सभापति :

- सुनिश्चित करेंगे कि परिषद् के कार्य सुचार रूप से और परियोजना में प्रावधानों, संस्था के स्मृति पत्र, परिषद् के नियमों, अधिनियमों तथा उपनियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं।
- 2. कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- स्वयं बुला सकते हैं अथवा अपने हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन द्वारा सदस्य सचिव को कभी भी कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने को कह सकते हैं।
- किसी विशेष मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करेंगे।
- कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों में सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की मान्यता का निर्णय करने के लिए एकमात्र और निर्द्धन्द्ध अधिकारी होंगे,
- 6. कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करने के योग्य होंगे बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा, तथा
- आपात स्थिति में अल्पसूचना पर कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए सदस्य-सचिव को निर्देश दे सकते हैं।

राज्य परियोजना निदेशक के कर्त्तव्य और अधिकार:

- (47) राज्य परियोजना निदेशक, परिषद् के प्रधान कार्यकारी पदाधिकारी होंगे और कार्यकारिणी समिति के सभापित के निर्देशन तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत जीवनोद्देश्य शैली में परियोजना के विविध कार्यकलाप के कार्यान्वयन साथ परिषद् के कार्यों तथा कोषों के सही संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। अपने कार्यों के प्रभावकारी निष्पादन के लिए उन्हें अधिकार होंगे कि :-
 - (क) कार्यक्रम अंगीभूतों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रत्येक के लिए मार्गदर्शक दल गठित करें,
 - (ख) टास्क फोर्स परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को संयोगी दल के रूप में गठित करें, जिसमें स्थायी दलों के प्रधान सम्मिलित होंगे।
 - (ग) परिषद् के सभी पदाधिकारियों तथा कर्मचारीवर्ग के कर्त्तव्यों का निर्धारण करें,
 - (घ) आवश्यकतानुसार वैसे पर्यवेक्षण तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करें,
 - (च) उसकी शाखाओं तथा घटकों सहित परिषद् के कार्यकलाप पर समन्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करें.
 - (छ) परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों का संचालन करें और इन नियमों के अनुसार इन बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखे, तथा
 - (ज) परिषद् के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए वैसे दूसरे कार्यों को करें।

जिला प्रबन्धन संरचना :

- (48) जिला स्तर पर जिला सलाहकार सिमिति परियोजना की प्रगित की सिमीक्षा करेगी और प्रतिभागी संस्थाओं की संलग्नता को बढ़ायेगी। इसका नेतृत्व प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इसमें अभिरूचि रखने वाले संस्थाओं तथा व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व होगा, जो परियोजना के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। जिला सलाहकार सिमिति में मनोनयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा अभिरूचि रखने वाली संस्थाओं के परामर्श से किया जाएगा।
- (49) जिला कार्यकारिणी जिला स्तर की कार्यकारी व्यक्ति समुदाय होगी, जिसे स्पष्ट परिभाषित अधिकार सौंपे जाएँगे, जिसमें सम्मिलित होंगे बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध सभी विभागाध्यक्षों के अधिकार। जिला कार्यकारिणी के सभापित कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किया जाएगा और इसके सदस्यों में सम्मिलित होंगे, जिला स्तर के पदाधिकारीगण तथा अभिरूचि रखनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधिगण। जिला कार्यकारिणी के कुल सदस्य 15 से अधिक नहीं होंगे।
- (50) जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे उन्हें जिला स्तर पर परियोजना के संबंध में वे ही अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे जैसा राज्य कार्यक्रम निदेशक को राज्य स्तर पर है। वे प्रत्येक कार्यक्रम अंगीभूत तथा कार्यात्मक क्षेत्र के लिए स्थायी दल स्थापित करेंगे। स्थायी दलों के प्रधान एक साथ जिला कार्यकारी दल (डिस्ट्रीक्ट टास्क फोर्स) गठित करेंगे, जो जिला स्तर पर परियोजना की सहायता के लिए अंगसंबंधी समूह के रूप में कार्य करेंगे।

परिषद् के कोष :

- (51) परिषद् के कोष निम्नलिखित से बने होंगे :-
 - परिषद् के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार प्रदत्त सहायक अनुदान,
 - 2. अन्य श्रोतों से अंशदान,
 - 3. परिषद् की समग्र सम्पत्ति से आय,
 - अन्य श्रोतों से परिषद् को प्राप्त राशि, तथा
 - 5. अनुदान, दान या किसी प्रकार की सहायता विदेशी सरकारों और यूनिसेफ तथा अन्य बाह्य संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित से।
- (52) कार्यकारिणी समिति तय करेगी कि परिषद् के लेन-देन करने वाले बैंक कौन होंगे। सभी कोष परिषद् के बैंक खाते में जमा होंगे और कार्यकारिणी समिति द्वारा इसके लिए अधिकृत ऐसे पदाधिकारी के हस्ताक्षरित चेक के बिना निकासी नहीं किया जाएगा।

लेखा और अंकेक्षण :

(53) 1. परिषद् वास्तविक लेखा तथा अन्य प्रसंगोचित अभिलेखों का संधारण करेगी तथा वार्षिक लेखा तैयार करेगी। जिसमें प्राप्ति तथा भुगतान लेखा, भारों का विवरण ऐसे प्रपत्र में होंगे जैसा

- राज्य सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाईटीज के द्वारा निर्धारित होगा उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन लागू हैं और उन शत्तों के अधीन केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के निर्देश लागू होंगे।
- परिषद् के लेखाओं को प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षित कराया जाएगा।
- अंकेक्षित लेखा की सूचना परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी, जो अंकेक्षण प्रतिवेदन अपने विचार के साथ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को समर्पित करेगी।
- 4. परिषद् का लेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त्त) ऐक्ट, 1971 तथा समय-समय पर संशेधित प्रावधानों के भी अधीन होंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन :

(54) परिषद् के कार्य तथा इसके द्वारा लिए गए वर्ष भर के कार्य के साथ आय-व्यय पत्रक तथा अंकेक्षित लेखा कार्यकारिणी समिति द्वारा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार तथा राज्य परिषद् के सदस्यों की सूचना के लिए तैयार किया जाएगा। परिषद् के अंकेक्षित लेखा के साथ वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष उसकी वार्षिक आमसभा में रखा जायेगा।

संशोधन :

- (55) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् जिसके लिए स्थापित हुई उसके उद्देश्यों में फेरबदल कर सकती है, विस्तार कर सकती है या संक्षिप्त कर सकती है अथवा परिषद को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरी सोसाइटी के साथ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के प्रावधानों के अनुसार मिला सकती है जैसा बिहार राज्य में उपयुक्त हो।
- (56) जैसे और जब नियमावली में अंकित मंत्रालयों, विभागों या संस्थाओं और पदनामों के नामकरण में कोई परिवर्तन होगा तो वैसे परिवर्तन इन नियमों में स्वतः सम्मिलित हो जाएँगे।
- (57) परिषद् के विघटित होने की आवश्यकता हो तो वह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा 13 और 14 के अधीन दिए गए प्रावधानों के अनुसार जो बिहार राज्य के उपयुक्त हो, विघटित हो जाएगी।
- (58) यदि परिषद् की समाप्ति अथवा विघटन पर सभी कर्जों तथा भारों को समाप्त करने के बाद जो सम्पत्ति बचेगी वह न तो भुगतान होगी और न परिषद् के सदस्यों के बीच वितरित होगी और न उनमें किसी को दी जाएगी पर राज्य सरकार के पास जमा हो जाएगी, जो उसके उपयोग अथवा अन्यथा के बारे में राज्य सरकार के परामर्श से तय करेगी।

विविध:

(59) नियमक मंडल के सदस्यों की सूची प्रतिवर्ष एक बार रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा-4 के अधीन अपेक्षा के रूप में समर्पित की जाएगी।

BIHAR SHIKSHA PARIYOJANA PARISHAD

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

&

RULES

PATNA

PREFACE

The Bihar Education Project (BEP) was conceived in the year 1989-90. In February, 1990, the Government of Bihar and Government of India jointly published a document, which explained the philosophy, principles and goals of the BEP. In the same year, in March, the World Conference on the 'Education for All' was organised in jometian (Thialand); when the International Organisations agreed to further co-operate in the area of primary education. UNICEF agreed to participate in the BEP.

To achieve the goals of the Bihar Education Project, the Bihar Shiksha Pariyojna Parishad was registered under the Societies Registration Act - 21/1860 on 13/5/1991.

The objectives of the Project have been outlined in the Memorandum of Association; all the persons associated with the BEP are expected to know them. Besides, Bye-laws of the Organisation would help in the achievement of the goals, and for working with the mission spirit.

The Memorandum of Association and the Bye-laws of the Bihar Shiksha Pariyojna Parishad have been re-printed with this objective in mind so that all those working with the BEP, on full time or part-time basis, have its copies and they get guidance from it.

Madan Mohan Jha
Project Director

BIHAR SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD

Memorandum of Association

- 1. The name of the Society shall be Bihar Shiksha Pariyojna Parishad (hereinafter referred to as the Parishad).
- 2. The registered office of the Parishad shall be located at Vikas Bhavan, Patna- 800015.
- 3. Objects: The Bihar Shiksha Pariyojna Parishad shall act as an autonomous and independent body for implementation of the Bihar Education Project as outlined in the project document published by Government of Bihar and Government of India in February, 1990 and its revised versions that may be prepared on the basis of joint review from time to time. The activities of the Parishad will be concentrated in selected districts, but may extend to the whole State of Bihar in respect of selected and sponsored projects. The Parishad has been established to function as a societal mission for bringing about a fundamental change in the basic education system, and through it in the overall sociocultural situation.

The following specific objects of the Bihar Education Project would be pursued by the Parishad:

- (a) Universalisation of Primary Education, viewed as a composite programme of (i) access to primary education for all children upto 14 years of age; (ii) universal participation till they complete the primary stage through formal or non formal education programmes; and (iii) universal achievement atleast of minimum levels of learning.
- (b) Drastic reduction in illiteracy, particularly in the age 15-35 age group, ensuring that the levels of the 3 Rs. are functionally relevant and provision of post-literacy, continuing education and skill development programmes for youth and adults.
- (c) Modification in the educational system to serve the objects of women's equality and their empowerment.

- (d) Making necessary intervention to provide equal educational opportunity to adults and children belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the poorest sections of society.
- (e) Relating education to the working and living conditions of the people, improving thereby their ability to cope with problems of livelihood, environment, and mother and child survival.
- (f) Laying special emphasis in all educational activities on culture and communication; science and environment and inculcation of a sense of social justice.
- 4. Functions: In pursuance of the above objects, the functions of the Parishad, to be undertaken directly by the Parishad offices of staff, or sponsored/supported by it through other institutions, agencies or individuals, shall be as follows:
 - (a) To undertake all activities that may be necessary for the implementation of the Pariyojna and in particular for the achievement to the objects referred to at Article 3 above.
 - (b) To create duly empowered administrative mechanisms, through such participation as may be deemed necessary of various departments and autonomous agencies of the Central and State Governments, for the achievement of the objects of the Parishad.
 - (c) To establish for the implementation of the Pariyojna District Task Forces as branch offices and other appropriate mechanisms at the Divisional, District, Sub-Divisional, Block and Village levels, and to delegate to them necessary powers to enable them to discharge their responsibilities.
 - (d) To secure active involvement and participation of educational institutions, voluntary agencies, teachers' organisation and individuals committed to educational improvement and to provide financial assistance to them.

- (e) to bring about effective decentralisation in basic education by involvement of the people through a process of training and awareness building, and creation of appropriate structures, formal or otherwise.
- (f) to secure constructive and participatory involvement of teachers for the achievement of the Parishad's objects and for this purpose to establish, formal as well as informal structures.
- (g) to undertake experimentation and innovation in basic education.
- (h) to undertake and promote research and studies relating to basic education and its management.
- (i) to ensure technical resources support by harnessing the existing institutions, or through establishment of new ones.
- (j) to advise the State Government in implementation of basic education programmes.
- (k) to organise conferences, symposia, workshops etc. on matters related to the Pariyojna.
- (1) to undertake preparation and production of educational materials and to disseminate the same.
- (m) to create academic, technical, administrative, managerial and other posts in the Parishad and to make payments for the same in accordance with the Rules and Regulations of the Parishad.
- (n) to make rules and regulations for conduct of the affairs of the Parishad and add or amend, vary or rescind them from time to time.
- (o) to accept grant of money, securities or property of any kind and to undertake and accept the management of any endowment, trust, fund or donation not inconsistent with the objects of the Parishad.
- (p) to incur expenditure after drawing up a budget and with due regard for economy and probity.

- (q) to prepare annual reports and accounts of the Parishad.
- (r) to purchase, hire, take on lease, exchange or otherwise acquire property, movable or immovable and to construct, alter and maintain any building or buildings as may be necessary for carrying out the objects of the Parishad.
- (s) to take all such action as may appear necessary or incidental for the achievement of the objects of the Parishad.
- 5. Property and assets: The income and property of the Parishad however derived, shall be applied towards pomotion of the objects thereof as set forth in this Memorandum of Association, subject nevertheless, in respect of the expenditure of grants made by the government of Bihar or Govt. of India, to such limitations as these Governments may, from time to time, impose. No portion of the income and property of the Parishad shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever by way of profit, to the persons who at any time have been members of the Parishad or to any of them or to any person claiming through them provided that nothing here in contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other persons in return for any service rendered to the Parishad for travelling allowance, halting, or other similar charges.
- 6. Government's powers: State Government and the Central Government may jointly appoint one or more persons to review the work and progress of the Parishad, and to hold enquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the Governments may stipulate; and upon receipt of any such report, the Governments may jointly take such action and issue such directions as they may consider necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the Parishad shall be bound to comply with such directions. In addition, the Central Government and the State Government may, at any time, jointly issue directives on matters of policy to the Parishad and the latter shall be bound to promptly comply with such directives.

- 7. **Dissolutuion**: If, on winding up or dissolution of the Parishad, there shall remain, after the satisfaction of all its debts and liabilites, any assests and property what so ever the same shall not be paid to or distributed among the members of the Parishad or any of them but shall be dealt with in such manner as the State Government may determine.
- 8. The names and addresses and occupations of the first members of the Governing Body of the Parishad to whom, by the rules and regulations of the Parishad the management of its affairs is entrusted are given on page 27.
- 9. A copy of the rules of the Parishad, certified to be a correct copy by the three members of the General Council of the Parishad is filed along with the Memorandum of Association.
- 10. We, the several persons whose names and addresses are given on page 27, having associated ourselves for the purpose described in this Memorandum of Association and set our several and respective hands here into and form ourselves into a Society under Registration of Societies Act (XXI of 1860) this day of at Patna.

DESIROUS PERSONS: We the undersigned are desirous of forming a society namely "Bihar Shiksha Pariyojana Parishad" under the Societies Registration Act, 1860 as applicable to the State of Bihar in pursuance of this Memorandum of Association of the Society.

S.No.	Name	Designation & Address	Signature
1.	Kamla Prasad	Chief Secretary	Sd/-
		Bihar, Patna	
2.	Arun Pathak	Development Commissioner	Sd/-
		Government of Bihar	
3.	R. K. Srivastava	Secretary, H.R.D.	Sd/-
		Govt. Bihar, Patna	
4.	Jagdish Mishra	Secretary, Bihar Primary	Sd/-
		Shikshak Sangha	
		Exhibition Road, Patna	

5.	Loknath Prasad	Law Secretary, G.O.B.	Sd/-
6.	A.K.Choudhary	Secretary, Personnel	Sd/-
		& A.R Govt. of Bihar, Patna	
7.	Amitabh Mukhopadhyay	Dy. Seretary	Sd/-
		Dept. of Education	
		Ministry of Human	
		Resource Development	
		Shastri Bhawan	
		New Delhi- 110 001	
8.	C.R.Venkatraman	Secretary to Govt. of Bihar	Sd/-
		Finance Dept.	

RULES OF THE BIHAR SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD

- 1. Short Title: These Rules may be called 'Rules of the Bihar Shiksha Pariyojna Parishad'.
- 2. Scope and application: These Rules shall extend to all the units and activities of the Parishad.
- 3. These Rules shall come into force from the date on which the Bihar Shiksha Pariyojna Parishad is registered under the Societies Registration Act, 1860, as applicable to the State of Bihar.
- 4. Definitions: In these Rules, unless the context otherwise requires.
 - (i) 'Basic Education' shall mean the following activities undetaken in the context of the Pariyojna.
 - (a) Early childhood care and education;
 - (b) Primary education of children upto the age of 14 years, whether through the formal school system or the non-formal education programmes;

- (c) Adult literacy and education;
- (d) Educational and other programmes aimed at women's equality and empowerment; and
- (e) Post-literacy and continuing education, including skill development.
- (ii) 'Central Government' shall mean Government of India (Ministry of Human Resource Development, Department of Education).
- (iii) The 'Chairman ' shall mean the Chairman of the Executive Committee of the Parishad.
- (iv) The 'Executive Committee' shall mean the body which is constituted as such under Rule 22 as the Executive Committee of the Parishad.
- (v) 'Interested Agencies' shall mean (i) the Central Government; (ii) State Government; (iii) Teacher's Organisation; (iv) Voluntary Agencies; and (v) Unicef.
- (vi) 'Non formal Education' shall mean part time; education provided to children generally below 15 years of age corresponding to primary or upper primary stage.
- (vii) 'Officers and staff' shall mean every whole-time employees of the Parishad appointed by the Executive Committee or any authority or officer delegated with the powers to do so, and would include Consultants, Fellows and research staff, but would not include State Project Director.
- (viii) The 'Parishad' shall mean the Bihar Shiksha Pariyojna Parishad.
- (ix) 'Pariyojna' means the Bihar Education Project as formulated jointly by the Central Government and the State Government and published in February, 1990, as modified and elaborated from time to time on the basis of joint reviews.

- (x) The 'President' shall mean the President of the Parishad.
- (xi) 'Primary Education' shall mean education corresponding to class I to V.
- (xii) 'The State Project Director' shall mean the Project Director of the Parishad appointed by the Government of Bihar under Rule 19.
- (xiii) 'State Government' shall mean the Government of Bihar (Department of Human Resource Development).
- (xiv) 'Technical Resource' shall mean (i) development of curriculum and teaching/learning materials; (ii) instructional methods; (iii) training of teachers; (iv) development of educational technology; (v) media and communication; and (vi) learner evaluation.
- (xv) 'Upper Primary Education' shall mean education corresponding to class VI to VIII.
- (xvi) The 'Vice- President' shall mean the Vice-President of the Parishad.
- (xvii) 'Voluntary Agenices' shall mean non-government organisations assigned responsibility for execution of any activity under the Pariyojna by an authority empowered to do so, and would include registered societies, public trusts and non-profit making companies.
- (xviii)(a) Words imparting the singular number also include the plural number and vice-versa.
 - (b) Words imparting the masculine gender also include feminine gender.

THE PARISHAD:

5. The Parishad shall consist of the following members:

(i) Chief Minister of Bihar

President

Ex- Officio

(ii) Minister incharge of Primary education in the State of Bihar

Vice President

Ex-Officio

(iii)	Development Commissioner.	Member
(iv)	Commissioner and Secretary,	
	Department of Education,	
	Government of Bihar.	Member
(v)	Sec., Dept.of Planning & Development.	Member
(vi)	Secretary, Dept. of Rural Development.	Member
(vii)	Finance Secretary and Commissioner,	
	Govt. of Bihar.	Member
(viii)	Four persons drawn from non governmental agencies engaged in educational activities in the State, of which atleast one would be a woman, to be nominated by	
	the State Government.	Member
(viii)	(a) Upto five heads of relevant State level institutions; engaged in technical resource development, to be nominated by the State Government.	Member
(ix)	Representatives for teachers, to be nomi-	
(===)	nated by the State Government:	Members
	(a) Three persons, including atleast one woman, to represent primary teachers.	
	(b) Three persons, including atleast one woman, to represent instructors and other functionaries engaged in non-formal education/adult education, etc.	*
	(c) Three teachers known for their commitment to basic education system, of which atleast one would be a woman.	

(x) Three heads of Primary schools known for their initiatives and contributions in elementary education, of which atleast one would be a woman.

Member

(xi) Other Ex-officio representatives of the Government of Bihar:

- (a) Six Heads of District Committees in the selected districts of the Pariyojna by rotation with two persons retiring every year on the basis of seniority.
- (b) Five Heads of department whose functions relate to basic education.
- (c) Six Executive Heads of the District Task forces, by rotation with two persons retiring every year on the basis of seniority.

(xii) Representatives of the Central Government

- (a) Three representatives of the Central Government to be nominated by the Ministry of Human Resource Development (Department of Education). Government of India.
- (b) Director, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
- (c) Director, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.
- (d) Director, national Institute of Adult Education, New Delhi.
- (xiii) Three persons from amongst eminent educationists writers, artists poets and professors of specialisation, to be nominated by the State Govt.

 members

(xiv) Other nominees of the Central Government

(a) Three pesons having keen interest in basic education programmes, of which atleast one would be a woman.

- (b) Two heads/representatives of the institutions engaged in evaluation and monitoring of the educational programmes, to be nominated by the Central government.
- (xv) Two representatives of Unicef.

Members

(xvi) Two persons each from amongs those who have distinguished themselves in the area of education for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and physically handicapped, one person in each category to be nominated by the Central and State Government.

Members

(xvii) Five women who have distinguished themselves in the areas of Primary education, nonformal education and adult education, two of them being nominated by the State Govt. and three by the Central Government.

Members

(xviii) All members of the Executive Committee not included above.

Members

(xviv) State Project Director.

Members

- 6. The term of non-official members nominated by the Central Government and the State Government shall be 2 years. Such members shall not be eligible for renomination.
- 7. Members of the Parishad shall cease to be such members, if
 - (a) they resign, are of unsound mind, are insolvent or are convicted of a criminal offence involving moral turpitude; or
 - (b) They do not attend three consecutive meetings of the Parishad without Proper leave of the President.

- 8. Where a member of the Parishad becomes a member by reason of the office of appointment he holds, his membership of the Parishad shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- 9. A resignation of the membership of the Parishad shall be tendered to the State Project Director and shall not take effect unless it has been accepted on behalf of the President.
- 10. Vacancies: Any vacancy in the membership of the Parishad shall be filled by nomination of the authorities entitled to make nominations, and the persons appointed in the vacancy shall hold office only for the unexpired period of the term of the membership.
- 11. The Parishad shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by reason of his/her office, is not a member of the Parishad for the time being and notwithstanding any other vacancy in its body, whether by non-appointment or otherwise, and no act of the Parishad shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above event or any defect in the appointment of any of the members of the Parishad.

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PARISHAD:

- 12. The Parishad shall have the following powers and functions:
 - (i) To review the implementation of the project and to give overall policy guidance and direction for efficient functioning of the Parishad.
 - (ii) To consider the balance sheet and audited accounts for the previous year.
 - (iii) To condiser the annual report prepared by the Executive committee.
 - (iv) To add and to amend the Rules of the Parishad with the approval of the Central Government and the State Government.
 - (v) To perform such other functions as are entrusted to it under these Rules.

Proceedings of the Parishad:

- 13. The meetings of the Parishad shall be held at such time, date and place as may be determined by the President.
- 14. Except as otherwise provided in these Rules, all meetings of the Parishad shall be called by notice under the signa tures of the State Project Director.
- 15. If the President is not present at the meeting of the Parishad the Vice-President will chair the meeting.
- 16. One- third of the members of the Parishad present in person shall form a quorum at every meeting of the Parishad, provided that no quorum shall be necessary in respect of an adjourned meeting.
- 17. All disputed questions at meetings of the Parishad shall be determined by vote and in case of equality of votes, the person chairing the meeting shall have a casting vote.

OFFICERS AND AUTHORITIES OF THE PARISHAD:

- 18. Officers: The officers of the Parishad shall be the President, the Vice-President, the Chairman, the State Project Director, and such other persons as may be designated as such by the Executive Committee.
- 19. The State Project Director of the Parishad shall be appointed by the State Government which shall prescribe his remuneration and other conditions of service.
- 20. Authorities: The following shall be the authorities of the Parishad.
 - (i) The President.
 - (ii) The Vice-President.
 - (iii) Chairman.
 - (iv) Executive Committee.
 - (v) State Project Director.
 - (vi) Such other authorities as may be constituted by the Executive Committee.

21. The affairs of the Executive Committee Parishad shall be administered, subject to the Rules and Regulation and orders of the Parishad, by an Executive Committee, which shall consist of the following. (i) Education Commissioner and Secretary, Department of Human Resource Development, Chairman. Government of Bihar. Ex-officio (ii) Finance Secretary or his nominee, in the State Government Member Member (iii) Secretary, Dept. of Planning & Development. (iv) Director of Primary Education in the State Government. Member (v) Director of Adult/Non-formal Education in the State. Member (vi) Director of Women and Child Development in the State. Member (vii) Two District Project Coordinators from amongst selected districts by rotation to be nominated Members by the Chairman. (viii) Two Heads of District Committees from amongst selected districts by rotation, to be nominated by the Chairman. Members Three representatives of the Central Govern-(ix) ment to be nominated by the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Government of India. Members. Two Directors/representatives of State level (x) academic and technical resources support

agencies.

Members

(xi) Two educationists known for their experience and interest in basic education, one each to be nominated by the State Government and the Central Government.

Members

(xii) One representative of Unicef.

Members

(xiii) Two serving teachers to represent Teacher's Organisations concerned with basic education to be nominated by the State Government.

Members

(xiv) Two women with experience and interest in women's development and education, one each to be nominated by the Central and State Govt.

Members

(xv) Two persons from VAs who have distinguished themselves for work among SCs and STs, one each to be nominated by the Central and State Government.

Members

(xvi)State Project Director of the Parishad.

Member Secretary.

- 22. The term of non-official members nominated by the Government of India and the State Government shall be 2 years. Such members shall not be eligible for renomination.
- 23. Members of the executive committee shall cease to be such members if
 - (a) they resign, are of unsound mind, are insolvent or are convicted of a criminal offence involving moral turpitude; or
 - (b) they do not attend three consecutive meetings of the Executive Committee without proper leave of the Chairman.
- 24. A resignation of membership of the Executive Committee shall be tendered to the State Project Director and shall not take effect until it has been accepted on behalf of Parishad by the Chairman.

- 25. Vacancies: Any vacancy in the membership of the Executive Committee shall be filled up by appointment or nominations by the authority entitled to make such appointment or nominations, and the person appointed in that vacancy shall hold office only for the expired period of term of membership.
- 26. The Executive Committee shall function notwithstanding that any person who is entitled to be member by reason of his office is not a member of the Executive Committee for the time being and notwithstanding any other vacancy in the Committee whether on account of non appointment by the authority entitled to make the appointment or otherwise and no act or proceeding of the Executive Committee shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or defects in the appointment of any of its members.

PROCEEDINGS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE:

- 27. Every meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chairman and in his absence, by a member choosen by the members present at the meeting to chair for the occasion.
- 28. One-third of the members of the Executive Committee present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Executive Committee, provided that no quorum shall be necessary in respect of an adjourned meeting.
- 29. Not less than seven clear days' notice of every meeting of the Executive Committee shall be given to each member of the Executive Committee provided that:
 - (a) The Chairman may call an emergency meeting at the notice of 3 days and
 - (b) Any inadvertent omission to give notice of the meeting or its non-receipt by any member shall not invalidate the proceedings of the meeting.

-8, Sri Aurobindo Mars,

W Delbi-110016 D-9725

OCC, No 90-H-97

- 30. Every notice calling a meeting of the Executive Committee shall state the date; time and place at which such meeting will be held and shall, except otherwise, provided in these Rules, be under the signatures of the Member-Secretary.
- 31. The Executive Committee shall meet as often as necessary but atleast once in each quarter of the year.
- 32. Each member of the Executive Committee including the Chairman shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be decided by the Executive Committee, the Chairman shall, in addition, have a casting vote.

Functions and Powers of the Executive Committee:

- 33. It shall be the responsibility of the Executive Committee to endeavour to achieve the objects of the Parishad and to discharge all its functions. The Executive Committee shall exercise all administrative, financial and academic authority in this behalf; including powers to create posts of all description and make appointments thereon in accordance with the Regulations.
- 34. The Executive Committee shall have under its control the management of all the affairs and funds of the Parishad.
- 35. The Executive Committee shall have the powers and responsibilities in respect of the following:
 - (i) To frame regulations with the approval of the State Government.
 - (ii) To frame bye-laws for the conduct of activities of the Parishad in furthering its objects.
- 36. The Executive Committee shall have the power to enter into arrangement with other public or private organisations or individuals for furtherance of its objects.

- 37. The Executive Committee shall have powers for securing and accepting endowments, grants-in-aid, donations, or gifts to the Parishad on mutually agreed terms and conditions provided that conditions of such grant-in-aid, donations or gifts shall not be inconsistent or in conflict with the objects of the Parishad or with the provisions of the Rules.
- 38. The Executive Committee shall have the power to take over and acquire by purchase, gift or otherwise from Government and other public bodies for private individuals, movable and immovable properties or other funds together with any attendant obligations, and engagements not inconsistent with the objects of the Parishad and the provisions of these Rules.
- 39. The Executive Committee shall have powers to undertake or give contract for construction of the building required for use of the Parishad and to acquire stores and services required for the discharge of the functions of the Parishad.
- 40. Subject to the provision of Article 5 of the Memorandum of Association, the Executive Committee shall have the power to sell or lease any movable or immovable property of the Parishad provided, however that no assests of the Parishad created out of Government be disposed of, encumbered or utilised for purposes other than those for which the grant was sanctioned.
- 41. The Executive Committee shall have powers to establish and spell out the membership of standing/adhoc committees or task forces/groups etc., for various areas of the Basic Education Programme and decide in regard to thier membership, powers and functions.
- 42. The Executive Committee may by Resolution, appoint Advisory Boards or other special committees for such purpose and with such powers as the Executive Committee may think fit and Executive Committee may also dissolve any of the committees and Advisory Bodies, set up by it.

43. The Executive Committee may delegate, to the Chairman, State Project Director, or any of its members and/or to a committee/group or any other officer of the Parishad such administrative, financial and academic powers and impose such duties as it deems proper and also prescribe limitations within which the powers and duties are to be exercised or discharged.

Regulations:

- 44. Subject to any specific directions of the Parishad and keeping in view the overall advice of the Central Government and the State Government, the Executive Committee shall have powers to frame and amend Regulations, not inconsistent with these Rules, for the administration and management of the affairs of the Parishad and without prejudice to the generality of this provision, such Regulation may provide for the following matters.
 - (i) Service matters pertaining to officers and staff including creation of posts, qualifications, selection procedure, service conditions, pay and emoluments, discipline and control rules;
 - (ii) Important financial aspects including formulation of budget, purchase procedures, delegation of financial powers, investment of funds, maintenance of accounts and audit, TA and DA rules, etc; and
 - (iii) Such other matters as may be necessary for the furtherance of the objects and the proper administration of the affairs of the Parishad. Provided that for the purpose of this Rule, following guidelines would be kept in view while creating the posts and formulating the Service and Financial Regulations.
 - (a) Scales of pay in respect of the posts to be created by the Executive Committee shall correspond either to the Central Government or State Government Scales of pay.

- (b) Mode of recruitment in respect of the posts to be created for the Parishad shall be either transfer on deputation or shortterm contract. For work related specific assignments, persons would be deployed on fixed emoluments with provision for revision each year if considered appropriate.
- (c) In the management structure, staff which may devolve permanent liability on the State Government shall not be appointed.
- (d) Till such time, the Parishad formulates its own set of regulations, the decisions taken by the Executive Committee in all such matter will be carried out.
- (e) The principal of reservation as laid down by the State Government shall be followed.
- (f) Consideration of financial propriety and prudence shall be kept in view.

Bye-laws:

- 45. Subject to the specific directions of the Parishad and the provisions in these Rules and Regulations to be framed thereunder, the Executive Committee shall have powers to frame and amend bye-laws for the conduct of activities of the Parishad for achievment of its objects and these bye-laws may, interalia, include matters relating to;
 - (a) Establishment of Branch Offices.
 - (b) Conduct of business of General Council, Executive Committee, and other Committees and Sub-Committees.
 - (c) Grant-in-aid to Voluntary Agencies.
 - (d) Involvement of individulas and contractual arrangements with them.
 - (e) School mapping and establishment of new schools, NFE Centres and other basic education facilities.

- (f) Facilities and incentives to be provided to improve, access and participation of children in primary education.
- (g) All aspects of technical resource support.
- (h) Such other things as may be necessary for implementation of the Pariyojna.

CHAIRMAN

- 46. The Education Secretary, Government of Bihar, shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee, The Chairman.
 - (i) Shall ensure that the affairs of the Parishad are run efficiently and in accordance with the provisions of the Pariyojna, the Memorandum of Association, Rules and Regulations and bye-laws of the parishad.
 - (ii) Shall preside over the meetings of the Executive Committee.
 - (iii) May himslef call, or by a requisition In writing signed by him may require the Member Secretary to call a meeting of the Executive Committee at any time.
 - (iv) In case the votes for and against a particular issues are equal, may exercise his casting vote.
 - (v) Shall be the sole and absolute authority to judge the validity of the vote cast by members at all the meeting of the Executive Committee.
 - (vi) Shall be entitled to invite any other person to attend the meeting of the Executive Committee provided that such persons shall have no power of voting; and
 - (vii) May direct the Member Secretary to call a special meeting of the Executive Committee at a short notice, in case of emergency.

Functions and powers of the State Project Director:

- 47. The State Project Director shall be the Principal Executive Officer of the Parishad and shall be responsible for proper administration of the affairs and funds of the Parishad and implementation of various activities of the Pariyojna in a mission mode under the directions and guidance of the Chairman of the Executive Committee. For the effective discharge of his functions he shall have powers to.
 - (a) Constitute Steering Group for each of the programme components and functional areas.
 - (b) Constitute a Task Force, comprising heads of the Steering Groups which would function as a cohesive team for achievement of the objects of the Pariyojna.
 - (c) Prescribe the duties of all officers and staff of the Parishad.
 - (d) Exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary;
 - (e) Coordinate and exercise general supervision over the activities of the Parishad including its Branches and units;
 - (f) Conduct meetings of the Parishad and its Executive Committee and keep a record of proceedings of these meetings in accordance with these Rules, and
 - (g) Discharge such other functions as may be assigned to him by the Executive Committee in furtherance of the objects of the Parishad.

District Management Structure:

48. The Zila Salahakar Samiti at the district level will review the progress of the Pariyojna and widen involvement of participating agencies. It will be headed by the Divisional Commissioner concerned, with representation of interested agencies and persons directly involved in the implementation of the Pariyojna. Nominations on the Zila Salahakar Samiti will be made by the Divisional Commissioner in consulation with interested agencies.

- 49. The Zila Karyakarini will be the executive body at the district level to whom well-defined powers will be delegated, which shall include the powers of all heads of departments concerned with basic education. The Chairman of the Zila Karyakarini will be decided by the Executive Committee and its membership will include district level officials and representatives of interested agencies. The total membership of the Zila Karyakarini shall not exceed 15.
- 50. The District Programme Coordinator shall be appointed by the Executive Committee. He shall have the same powers and responsibilities in relation to the Pariyojna at the district level as the State Programme Director has at the State level. He shall set up Steering Groups for each programme component and functional area. The head of the Steering Groups will together constitute the Zila Karyakari Dal (District Task Force) which shall work as an organic team for furthering the Pariyojna at the district level.

Funds of the Parishad:

- 51. The funds of the Parishad shall consist of the following.
 - (i) Grants-in-aid made by the Central Government and the State Government for furtherance of the objects of the Parishad;
 - (ii) Contributions from the sources;
 - (iii) Income from the assets of the Parishad;
 - (iv) Receipts of the Parishad from other sources; and
 - (v) Grants, donations or assistance of any kind from foreign, Governments and UNICEF and other external agencies, with prior approval of the Central Government.
- (52) The bankers of the Parishad shall be decided by the Executive Committee. All funds shall be paid into the Parishad account with the Bank and shall not be withdawn except through a cheque signed by such officers as may be duly empowered in this behalf by the Executive Committee.

Accounts and Audit

- (53) (i) The Parishad shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual accounts comprising the Receipts and Payment Account, statement of liabilities in such form as may be prescribed by the Registrar of Societies of the State Government in keeping with the Rules in force under the Societies Registration Act 1860 subject to the condition that in respect of grants from the Central Government directions of the Central Government shall be adhered to.
 - (ii) The accounts of the Parishad shall be audited annually by the Chartered Accountant and in accordance with the provisions of the Societies Registration Act, 1860.
 - (iii) The audited accounts shall be communicated to the Parishad which shall submit a copy of Audit Report along with the observations to the Central government and the State Government.
 - (iv) The accounts of the Parishad shall also be subject to the provisions of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 as amended from time to time.

Annual Report

54. The Annual Report on the working of the Parishad and the work undertaken by it during the year together with Balance Sheet and Audited Accounts, shall be prepared by the Executive Committee for information of the Central and the State Government and the members of the parishad. A draft of the Annual Report along with the audited accounts of the Parishad and the Auditor's report thereon shall be placed before the Parishad in its Annual Central Meeting.

Amendments

- 55. With the approval of the Central Government and the State Governmenent, the Parishad may alter, extend or abridge the purpose for which it it is established, or amalgamate the Parishad either wholly or partly with anany other Society in accordance with the provisions of the Societies Regissistration Act, 1860, as applicable to the State of Bihar.
- 56. As and when there is any change in the nomenclature of Ministrieses, Dpartments, or institution(s) and designation(s) mentioned in the Ruleses, such changes shall automatically stand incorporated in these Rules.
- 57. If the Parishad needs to be dissolved, it shall be dissolved as perer provisions laid down under Sections 13 and 14 of the Societies Registration Act, 1860 as applicable to the State of Bihar.
- 58. If, on the winding up or dissolution of the Parishad, there shall remain, after the satisfaction of all debts and liabilities, any property whatso-ever, the same shall not be paid to, or distributed amongst the members of the Parishad or anyone of them but shall accrue to the State Government which will decide about its utilisation or otherwise in consultation with the State Government.

 NIEPA DC

Miscellaneous



59. Once in every year a list of members of the Governing Body shall bee filed with the Registrar of Societies as required under section 4 of thee Societies Registration Act, 1860

17-2, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
D9725
Date